

अनुदान संख्या 98 - शहरी विकास
GRANT No. 98-DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	<i>Charged-</i>	18,12,00	14,64,59	-3,47,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			शून्य Nil
स्वीकृत-	<i>Voted-</i>			
मूल	<i>Original</i> 701,97,00	777,48,00	760,94,66	-16,53,34
पूरक	<i>Supplementary</i> 75,51,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			3,02,58
पूंजीगत:	Capital:			
प्रभारित-	<i>Charged-</i>			
मूल	<i>Original</i> 7,75,00	11,72,00	9,92,96	-1,79,04
पूरक	<i>Supplementary</i> 3,97,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			80,00
स्वीकृत-	<i>Voted-</i>			
मूल	<i>Original</i> 1292,44,00	2229,76,00	2116,17,05	-113,58,95
पूरक	<i>Supplementary</i> 937,32,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			104,46,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head:-

	कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष मुख्य शीर्ष "2216" आवास	Head Major Head "2216" Housing	1812.00	1464.59 -347.41

(I) "सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - अनुरक्षण और मरम्मत" के अंतर्गत 348.12 लाख रु. की बचत (1632.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) प्रत्याशा के अनुसार माध्यस्थम/न्यायालय निर्णय के समय पर प्राप्त न होने के कारण हुई।

(I) Under "Government Residential Buildings-Other Housing - Maintenance and Repairs"- saving of Rs.348.12 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.1632.00 lakhs) was due to non-receipt of arbitration/court judgment in time as anticipated.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (1653.34 लाख रु.) फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 7551.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 22 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.1653.34 lakhs) constituted 22 percent of the supplementary grant of Rs.7551.00 lakhs obtained in February, 2004 and 2 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष "2215" जल पूर्ति तथा सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation			
मू.	O.	15105.00	14744.00	13896.50
पु.	R.	-361.00		
मुख्य शीर्ष "2216" आवास	Major Head "2216" Housing			
मू.	O.	29505.00	29368.00	28833.23
पु.	R.	-137.00		
मुख्य शीर्ष "2217" शहरी विकास	Major Head "2217" Urban Development			
मू.	O.	2057.00	1375.42	1347.22
पु.	R.	-681.58		

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	21800.00		
पू.	S.	7551.00	30328.00	30438.00
पु.	R.	977.00		+110.00
(I) पांच शीर्षों के अंतर्गत 221.00 लाख रु. का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।		(I) Provision of Rs.221.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads.		
(II) मुख्य शीर्ष "2215" के अंतर्गत बचते निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-		(II) Under Major Head "2215"- savings occurred under the following heads:-		
(का) "जल पूर्ति - शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम - एयूडब्ल्यूएसपी का छोटे कस्बों तक विस्तार"- 843.64 लाख रु. की बचत (14000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रस्तावों के विलंब से प्राप्त होने के कारण हुई।		(A) "Water Supply - Urban Water Supply Programme - Extension of AUWSP to Small Towns"- saving of Rs.843.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14000.00 lakhs) was due to late receipt of proposals from State Governments.		
(खा) "मलजल तथा सफाई - स्थानीय निकायों/नगरपालिकाओं आदि को सहायता - चयनित शहरों में विमानपत्तन के निकट ठोस अपशिष्ट निपटान संबंधी प्रायोगिक परियोजना"- 401.00 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों के उपयोग के लिए विस्तृत साध्यता प्रतिवेदन तथा प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।		(B) "Sewerage and Sanitation - Assistance to Local Bodies/Municipalities etc. - Pilot Project on Solid Waste Disposal near Airport in Selected Cities"- saving of Rs.401.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-receipt of detailed feasibility report and proposal for utilisation of funds.		
(III) मुख्य शीर्ष "2216" - "सरकारी रिहायशी भवन" के अंतर्गत बचते निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-		(III) Under Major Head "2216"- "Government Residential Buildings" - savings occurred under the following heads:-		
(का) "सामान्य पूल आवास"-		(A) "General Pool Accommodation" -		
(क) "अनुरक्षण और मरम्मत"- 161.31 लाख रु. की बचत (19150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और समयोपरि भत्ते की कम अदायगी किए जाने के कारण हुई।		(a) "Maintenance and Repairs"- saving of Rs.161.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.19150.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less payment of overtime allowance.		

(ख) "संपदा निदेशालय"- 194.57 लाख रु. की बचत (3195.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोलकाता में मकान मालिक के साथ कार्यालय आवास के पट्टे का नवीकरण न होने के कारण हुई।

(खा) "अन्य आवास - अनुरक्षण और मरम्मत"- 126.57 लाख रु. की बचत (5300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य प्रभारित कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते में कटौती किए जाने और अदायगी औद्योगिक दरों के स्थान पर सिविल स्टॉफ दरों पर किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2217" - "अन्य शहरी विकास स्कीमें - अन्य व्यय - शहरी सूचना प्रणाली" के अंतर्गत 435.00 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के लिए वित्त मंत्रालय और योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत 129.00 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत और 32 प्रतिशत थी।

3.(I) उपर्युक्त बचतें, पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (977.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गई, जैसा कि मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अन्य शहरी विकास स्कीमें - अन्य अनुदान - मेगासिटी स्कीम अवसंरचना विकास" के अंतर्गत 6700.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - लघु और मध्यम नगरों का एकीकृत विकास - लघु और मध्यम नगरों के एकीकृत विकास के लिए केन्द्रीय सहायता" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई - 110.00 लाख रु. का अधिक व्यय (276.20 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 10126.20 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लघु और मध्यम नगरों के एकीकृत विकास की प्रगति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा किए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 61.16 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 122 प्रतिशत था।

(b) "Directorate of Estates" - saving of Rs.194.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3195.00 lakhs) was due to non-renewal of lease of office accommodation with landlord at Kolkata.

(B) "Other Housing - Maintenance and Repairs" - saving of Rs.126.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5300.00 lakhs) was due to curtailment of overtime allowance to work charged staff and payment at civil staff rate instead of industrial rates.

(IV) Under Major Head "2217"- "Other Urban Development Schemes - Other Expenditure-Urban Information System"- saving of Rs.435.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-receipt of approval from Ministry of Finance and Planning Commission for the Scheme.

(V) Under two heads savings of Rs.129.00 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 18 percent and 32 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (Rs.977.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.6700.00 lakhs under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Other Urban Development Schemes - Other Grants - Megacity Scheme Infrastructure Development".

(II) The savings were also offset by excess under Major Head "3601"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Integrated Development of Small & Medium Towns - Other Grants - Central Assistance for Integrated Development of Small and Medium Towns" - excess of Rs.110.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.10126.20 lakhs including supplementary grant of Rs.276.20 lakhs) was due to meeting additional requirement for progression of Integrated Development of Small and Medium Towns.

(III) Under one head excess of Rs.61.16 lakhs occurred constituting 122 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में, समग्र बचतें (179.04 लाख रु.) दिसंबर, 2003 और फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 397.00 लाख रु. के पूरक विनियोग का 45 प्रतिशत और कुल स्वीकृत विनियोग का 15 प्रतिशत थीं।

(I) 100.00 लाख रु. का विनियोग मुख्य शीर्ष "7601"- "राज्य सरकारों को कर्ज तथा अग्रिम" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 80.11 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत विनियोग का 80 प्रतिशत थी।

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (11358.95 लाख रु.) अगस्त, 2003, दिसंबर, 2003 तथा फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 93732.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 12 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

4. In the charged portion of the capital section of the grant, the overall savings (Rs.179.04 lakhs) constituted 45 percent of the supplementary appropriation of Rs.397.00 lakhs obtained in December, 2003 and February, 2004 and 15 percent of the total sanctioned appropriation.

(I) Appropriation of Rs.100.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "7601" - "Loans and Advances to State Governments".

(II) Under one head saving of Rs.80.11 lakhs occurred constituting 80 percent of the sanctioned appropriation.

5. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (Rs.11358.95 lakhs) constituted 12 percent of the supplementary grants of Rs.93732.00 lakhs obtained in August, 2003, December, 2003 and February, 2004 and 5 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"			
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing			
मू.	O.	19334.00		
पू.	S.	2.00	15390.00	14487.05
पु.	R.	-3946.00		-902.95
मुख्य शीर्ष "4217"	Major Head "4217"			
शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Urban Development			
मू.	O.	24500.00		
पू.	S.	14730.00	39430.00	39430.00
पु.	R.	200.00		..

	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूँजीगत परिव्यय	Head Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas		
मू.	O.	15900.00	
		9200.00	9200.00
पु.	R.	-6700.00	. .

(I) 11.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.11.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings" - savings occurred under the following heads:-

(का) "सामान्य पूल आवास - शहरी विकास निर्माण"- 734.02 लाख रु. की बचत (2.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 9202.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों की कम आवश्यकता होने और कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(A) "General Pool Accommodation - Urban Development Construction"- saving of Rs.734.02 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.9202.00 lakhs including supplementary grant of Rs.2.00 lakhs) was due to less requirement of funds and slow progress of work.

(खा) "अन्य आवास"-

(B) "Other Housing"-

(क) "लेखापरीक्षा"- 1059.95 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Audit"- saving of Rs.1059.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs); and

(ख) "वित्त (राजस्व)"- 1555.46 लाख रु. की बचत (4665.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "Finance (Revenue)"- saving of Rs.1555.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4665.00 lakhs).

उपर्युक्त शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रशासनिक अनुमोदन और स्वीकृत अनुमान के न प्राप्त होने और कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

Savings under the above heads were due to non-receipt of Administrative Approval and estimate sanction and slow progress of work.

(ग) "गृह मामले"- 206.61 लाख रु. की बचत (350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(c) "Home Affairs" - saving of Rs.206.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.350.00 lakhs);

- (घ) “चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य”- 557.93 लाख रु. की बचत (860.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (ङ) “रोजगार”- 400.12 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रशासनिक अनुमोदन और अनुमान की स्वीकृति के प्राप्त न होने के कारण हुईं।

- (च) “कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन”- 198.94 लाख रु. की बचत (310.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बंगलौर में क्षेत्रीय परियोजना कार्यालय क्वार्टरों के लिए भूमि अर्जन को मूर्तरूप न दिए जाने और चालू निर्माण कार्य में धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “4552” - “अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान” के अंतर्गत 6700.00 लाख रु. की बचत (15900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुदानों के लिए पूरक मांग के रूप में राजस्व भाग में उपयोग की जाने वाली निधियों को अभ्यर्पित किए जाने के कारण हुई।

(IV) तीन शीर्षों के अंतर्गत 261.99 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक से 95 प्रतिशत तक थीं।

5.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष “4217” - “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - अन्य व्यय - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड निधि” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 200.00 लाख रु. का अधिक व्यय (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आरंभ की गई परियोजनाओं/स्कीमों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए निधियों की और अधिक मांग होने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 98.51 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 99 प्रतिशत था।

- (d) “Medical and Public Health” - saving of Rs.557.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.860.00 lakhs); and

- (e) “Employment”- saving of Rs.400.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-receipt of Administrative Approval and estimate sanction.

- (f) “Personnel, Public Grievances and Pensions”- saving of Rs.198.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.310.00 lakhs) was due to non-materialisation of land acquisition for Regional Project office quarters at Bangalore and slow progress of ongoing works.

(III) Under Major Head “4552” - “Other Expenditure - Provision for the Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim” - saving of Rs.6700.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15900.00 lakhs) was due to surrender of funds to be utilised in revenue section by way of Supplementary Demand for Grants.

(IV) Under three heads savings of Rs.261.99 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding 100.00 lakhs and constituting more than 10 percent to 95 percent of the sanctioned provision.

5.(I) The above savings were partly offset by excess under Major Head “4217” - “National Capital Region- Other Expenditure- National Capital Region Planning Board Fund” - excess of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to more demands of funds to meet additional requirement for projects/schemes undertaken.

(II) Under one head excess of Rs.98.51 lakhs occurred constituting 99 percent of the sanctioned provision.